चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/2032
दिनांक : 19.10.2019

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षक तथा भवन आदि मानकानुसार न होने की शिकायतें विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में मा० कुलपति जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि आपके महाविद्यालय का विश्वविद्यालय/अन्य स्तर द्वारा गठित टीमों द्वारा औचक निरीक्षण किया जायेगा। औचक निरीक्षण के दौरान आपके महाविद्यालयों/संस्थानों में मानकानुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं पाये जाते है तब उस स्थिति में विश्वविद्यालय अपने स्तर से आपको संस्थान के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ ही संस्थान की सम्बद्धता निरस्त करने हेतु बाध्य होगा।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में दिनांक 30.10.2019 तक अपने महाविद्यालय/संस्थानों में मानकानुसार शिक्षकों एवं अन्य व्यवस्थाओं का प्रबन्ध कर नियमानुसार अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में आपके संस्थान के विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो उस स्थिति मे आपकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक–कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ

कुलसचिव